

2244/2017 - 717  
26/10/17

संख्या : 1207 / 8-3-17-36 विविध / 16 टी0सी0

प्रेषक,

अमिताभ प्रकाश,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष,  
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषय : अभिकरणों द्वारा निर्माण अनुज्ञा निर्गत किये जाने हेतु लिये जाने वाले शपथ-पत्र/अण्डर टेकिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार के चार्टर Business Reform Action Plan 2017 के बिन्दु संख्या-233 में निम्न अपेक्षा की गयी है :-

"Combine all affidavits & undertakings required to be submitted for obtaining the building plan approval into one affidavit/undertaking"

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के चार्टर में गयी उक्त अपेक्षा के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2008 (यथासंशोधित) के अध्याय-3 की उपविधि संख्या-3.1.2 में उल्लिखित भवन के निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्तन हेतु अनुज्ञा आवेदन पत्र, जो परिशिष्ट-4 पर स्थित है, को आवेदन पत्र के शपथ पत्र का प्रारूप पढ़ा एवं समझा जाये।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमिताभ प्रकाश)  
विशेष सचिव

संख्या 1207 (1) / 8-3-17-36 विविध / 16 टी0सी0-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री अनिल तिवारी, सहायक निदेशक, सिस्टम, आवास बन्धु, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि समस्त संबंधित को तामील कराते हुए विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)  
अनु सचिव